



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 370 राँची, गुरुवार,

4 अगस्त, 2022 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

29 जुलाई, 2022

संख्या-07/हो०गा०(स्था०)-01/2013-3364--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के साथ पठित झारखंड गृह रक्षक अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम-03, 2006) की धारा- 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी(अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित संशोधन नियमावली गठित करते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (i) यह नियमावली झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 कहलाएगी।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह नियमावली झारखण्ड ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995, दिनांक-12.11.2015 की नियम-04 द्वारा झारखण्ड गृह रक्षक के अराजपत्रित सेवा नियमावली- 2015 के वर्दीधारी कोटि अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों एवं पदों का प्रावधान निम्न रूपेण किया गया है:-

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) संवर्ग:-

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) संवर्ग के वर्दीधारी कोटि के निम्न श्रेणी एवं पद होंगे

क्र०	पद का नाम	प्रोन्नत/सीधी नियुक्ति/चयनित पद/पदस्थापन पर	वेतनमान सहित
गुल्म समादेशक श्रेणी			
1	निरीक्षक/ निरीक्षक (परिवहन)	प्रोन्नत पद	पी०बी० ॥ (9300-34800) ग्रेड पे 4600
2	गुल्म समादेशक (मूल कोटि का पद)/ गुल्म समादेशक (आयुधपाल)/ गुल्म समादेशक (परिवहन)/ गुल्म समादेशक (बैण्ड/बिगुलर)	1. मूल कोटि के 75 प्रतिशत सीधी नियुक्ति एवं 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 2. गुल्म समादेशक (आयुधपाल) का पद अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड 1 का प्रोन्नत पद होगा। 3. गुल्म समादेशक (परिवहन) का पद अधिनायक (चालक) ग्रेड 1 का प्रोन्नत पद होगा। 4. गुल्म समादेशक (बैण्ड/बिगुलर) का पद अधिनायक (बैण्ड/बिगुलर) ग्रेड 1 का प्रोन्नत पद होगा।	पी०बी० ॥ (9300-34800) ग्रेड पे 4200

अधिनायक श्रेणी			
1	जमादार लिपिक/ अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड- I/ अधिनायक (लिपिक) ग्रेड- I/ अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड- I/ अधिनायक (चालक) ग्रेड- I/ अधिनायक (बैण्ड) ग्रेड- I	1. सभी पद प्रोन्नति के पद होंगे। 2. जमादार लिपिक का पद लेखा उत्तीर्ण (विभागीय परीक्षा) अधिनायक (अनुदेशक) एवं अधिनायक (लिपिक) का चयनित पद। 3. अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड-I का पद अधिनायक (अनुदेशक) का प्रोन्नत पद होगा। 4. अधिनायक (लिपिक) ग्रेड-I का पद अधिनायक (लिपिक) का प्रोन्नत पद होगा। 5. अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड-I का पद अधिनायक (आयुधपाल) का प्रोन्नत पद होगा। 6. अधिनायक (चालक) ग्रेड-I का पद अधिनायक (चालक) का प्रोन्नत पद होगा। 7. अधिनायक (बैण्ड) ग्रेड-I का पद अधिनायक (बैण्ड) का प्रोन्नत पद होगा।	पी०बी० । (5200-20200) ग्रेड पे 2800
2	अधिनायक (लिपिक) (मूल कोटि का पद)/ अधिनायक (अनुदेशक) (मूल कोटि का पद)/ अधिनायक (आयुधपाल)/ अधिनायक (चालक)/ अधिनायक (बैण्ड/विगुलर)	1. अधिनायक (लिपिक) के मूल कोटि के 75%सीधी नियुक्ति (कम्प्यूटर जानकार) एवं 25% प्रोन्नति सिपाही से, 2. अधिनायक (अनुदेशक) के मूल कोटि के 75%सीधी नियुक्ति एवं 25%प्रोन्नति सिपाही से, 3. अधिनायक (आयुधपाल) का पद सिपाही का प्रोन्नत पद होगा। 4. अधिनायक (चालक) का पद सिपाही का	पी०बी० । (5200-20200) ग्रेड पे 2000

		प्रोन्नत पद होगा। 5. अधिनायक (बैण्ड/बिगुलर) का पद सिपाही (बैण्ड/बिगुलर) का प्रोन्नत पद होगा।	
सिपाही श्रेणी			
1	सिपाही (मूल कोटि का पद)/ सिपाही (चालक) (मूल कोटि का पद)/ सिपाही (बैण्ड/बिगुलर) (मूल कोटि का पद)/	सीधी नियुक्ति	पी०बी० I (5200-20200) ग्रेड पे 1900

उक्त नियमावली की नियम-04 में निहित उपर्युक्त प्रावधान को आंशिक संशोधित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	पद का नाम	प्रोन्नत/सीधी नियुक्ति/चयनित पद/पदस्थापन पर	वेतनमान ग्रेड पे सहित
गुल्म समादेशक श्रेणी			
1	निरीक्षक/ निरीक्षक (परिवहन)	प्रोन्नत पद	पी०बी० II (9300-34800) ग्रेड पे 4600
2	गुल्म समादेशक (मूल कोटि का पद) गुल्म समादेशक (आयुधपाल) गुल्म समादेशक (परिवहन) गुल्म समादेशक (बैण्ड/बिगुलर)	1) मूल कोटि के 75% सीधी नियुक्ति एवं 25% प्रोन्नति द्वारा। 2) गुल्म समादेशक (आयुधपाल) का पदसहायक गुल्म समादेशक (आयुधपाल) का प्रोन्नत पद होगा। 3) गुल्म समादेशक (परिवहन) का पद सहायक गुल्म समादेशक (चालक) का प्रोन्नत पद होगा।	पी०बी० II (9300-34800) ग्रेड पे 4200

		4) गुल्म समादेशक (बैण्ड/बिगुलर) का पद सहायक गुल्म समादेशक (बैण्ड/बिगुलर) का प्रोन्नत पद होगा।	
अधिनायक श्रेणी			
1	जमादार लिपिक सहायक गुल्म समादेशक (अनुदेशक) सहायक गुल्म समादेशक (लिपिक) सहायक गुल्म समादेशक (आयुधपाल) सहायक गुल्म समादेशक (चालक) सहायक गुल्म समादेशक (बैण्ड)	1) सभी पद प्रोन्नत के पद होंगे। 2) जमादार लिपिक का पद लेखा उत्तीर्ण (विभागीय परीक्षा) अधिनायक (अनुदेशक) एवं अधिनायक (लिपिक) का चयनित पद। 3) सहायक गुल्म समादेशक (अनुदेशक) का पद अधिनायक (अनुदेशक) का प्रोन्नत पद होगा। 4) सहायक गुल्म समादेशक (लिपिक) का पद अधिनायक (लिपिक) का प्रोन्नत पद होगा। 5) सहायक गुल्म समादेशक (आयुधपाल) का पद अधिनायक (आयुधपाल) का प्रोन्नत पद होगा। 6) सहायक गुल्म समादेशक (चालक) का पद अधिनायक (चालक) का प्रोन्नत पद होगा। 7) सहायक गुल्म समादेशक (बैण्ड) का पद अधिनायक (बैण्ड) का प्रोन्नत पद होगा।	पी०बी० । (5200-20200) ग्रेड पे 2800
2	अधिनायक (लिपिक) (मूल कोटि का पद) अधिनायक (अनुदेशक) (मूल कोटि का पद) अधिनायक (आयुधपाल) अधिनायक (चालक)	1) अधिनायक (लिपिक) के मूल कोटि का पद 75% सीधी नियुक्ति (कम्प्यूटर जानकार) एवं 25% प्रोन्नति सिपाही से। 2) अधिनायक (अनुदेशक) के मूल कोटि के 75% सीधी नियुक्ति एवं 25% प्रोन्नति सिपाही से। 3) अधिनायक (आयुधपाल) का पद सिपाही से प्रोन्नत पद होगा।	पी०बी० । (5200-20200) ग्रेड पे 2000

	अधिनायक (बैण्ड/बिगुलर)	4) अधिनायक (चालक) का पद सिपाही का प्रोन्नत पद होगा। 5) अधिनायक (बैण्ड/बिगुलर) का पद सिपाही (बैण्ड/बिगुलर) का प्रोन्नत पद होगा।	
सिपाही श्रेणी			
1	सिपाही (मूल कोटि का पद) सिपाही (चालक) (मूल कोटि का पद) सिपाही (बैण्ड/बिगुलर) (मूल कोटि का पद)	सीधी नियुक्ति	पी०बी०। (5200-20200) ग्रेड पे 1900

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995, दिनांक-12.11.2015 की नियम-5. (क)(i) में निम्न प्रावधान है:-

“5.(क)(i) सिपाही/सिपाही (चालक)/ सिपाही (बैण्ड/बिगुलर)/अधिनायक (अनुदेशक)/अधिनायक (लिपिक)/गुल्म समादेशक कोटि के पद पर सीधी भर्ती राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती बोर्ड/झारखंड राज्य यूनिफार्म सेवा नियुक्ति पर्वद की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

“5.(क)(i) सिपाही/सिपाही (चालक)/सिपाही (बैण्ड/बिगुलर)/ अधिनायक (अनुदेशक)/अधिनायक (लिपिक)/गुल्म समादेशक कोटि के पदों पर सीधी भर्ती झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।”

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995, दिनांक 12.11.2015 की नियम- 6(क)(iv) में निम्न प्रावधान है:-

“सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित हैं।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

“सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस संवर्ग के आरक्षी की नियुक्ति हेतु निर्धारित हैं।”

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-" झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/10वीं तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं०- 421, दिनांक-12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995, दिनांक-12.11.2015 की नियम-6(ख)(iv) में निम्न प्रावधान है:-

"सिपाही चालक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस चालक की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित है।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

"सिपाही चालक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/ आयु सीमा/ शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस संवर्ग के पुलिस चालक की नियुक्ति हेतु निर्धारित है।

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-" झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/10वीं तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं०- 421, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।

6. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995, दिनांक 12.11.2015 की नियम -6(ग)(iv) में निम्न प्रावधान है:-

“सिपाही (बैण्ड/बिगुलर) की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस बैण्ड की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित है।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“सिपाही (बैण्ड/बिगुलर) की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस संवर्ग के पुलिस बैण्ड (सिपाही) की नियुक्ति हेतु निर्धारित है।”

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-” झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/10वीं तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं0- 421, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।

7. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995, दिनांक 12.11.2015 की नियम 7(क)(V) में निम्न प्रावधान है:-

“सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता पुलिस नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“अधिनायक (लिपिक) के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।”

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-” अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होगा अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं0- 420, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।

8. विभागीय अधिसूचना संख्या -5995, दिनांक 12.11.2015 की नियम 7(क)(vi) में निम्न प्रावधान है:-

“सीधी नियुक्ति के लिए अधिनायक लिपिक को कम्प्यूटर की जानकारी आवश्यक होगी। प्रोन्नत अधिनायक लिपिक को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-”अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होगा अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।

इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं0- 419, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।

“प्रोन्नत अधिनायक लिपिक को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा।”

9. विभागीय अधिसूचना संख्या -5995, दिनांक 12.11.2015 की नियम 7(ख)(V) में निम्न प्रावधान है:-

“सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता पुलिस नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-”अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होगा अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

अधिनायक अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं0- 420, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।

10. विभागीय अधिसूचना संख्या -5995, दिनांक 12.11.2015 की नियम 8(पप) में निम्न प्रावधान है:-

“गुल्म समादेशक पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अर्हता वही होगी जो पुलिस विभाग में अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित है।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“गुल्म समादेशक पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अर्हता वही होगी जो पुलिस संवर्ग में पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित है।”

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-” केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं0-418, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।

11. विभागीय अधिसूचना संख्या -5995, दिनांक 12.11.2015 की नियम 8(iii) में निम्न प्रावधान है:-

“गुल्म समादेशक के पद पर सीधी नियुक्ति नियम 5 (क) के अनुसार की जायेगी।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

“गुल्म समादेशक के पद पर सीधी नियुक्ति नियम 5(क) के अनुसार की जायेगी। सीधी भर्ती से नियुक्त गुल्म समादेशकों की आपसी वरीयता का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम/परिपत्र के शर्तों के अनुरूप होगी।”

12. विभागीय अधिसूचना संख्या-5995, दिनांक 12.11.2015 की नियम 8(V) में निम्न प्रावधान है:-

“गुल्म समादेशक का अधिनायक लिपिक ग्रेड-1, अधिनायक अनुदेशक ग्रेड-1 और जमादार लिपिक का प्रोन्नत पद होगा। जिसके लिए इस कोटि के समेकित वरीयता सूची तैयार की जायेगी।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

“गुल्म समादेशक का 25%पद सहायक गुल्म समादेशक (लिपिक), (अनुदेशक) और जमादार प्रधान लिपिक का प्रोन्नत पद होगा। जिसके लिए इस कोटि की समेकित वरीयता सूची तैयार की जायेगी। सहायक गुल्म समादेशकों की आपसी वरीयता का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय- समय पर निर्गत नियम/परिपत्र के शर्तों के अनुरूप होगी।”

13. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 में उल्लेखित पदनाम यथा-अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड-I, अधिनायक (लिपिक) ग्रेड-I, अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड-I, अधिनायक (चालक) ग्रेड-I, अधिनायक (बैण्ड) ग्रेड-I को क्रमशः पदनाम यथा- सहायक गुल्म समादेशक (अनुदेशक), सहायक गुल्म

समादेशक (लिपिक), सहायक गुल्म समादेशक (आयुधपाल), सहायक गुल्म समादेशक (चालक), सहायक गुल्म समादेशक (बैण्ड) के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।

14. नियमावली की नियम -04 के अनुसार संगठनात्मक सारणी के रूप में अनुसूची 01 को संलग्न किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राजीव अरूण एक्का)

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची-01-संगठनात्मक सारणी

नियम- 4



